

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या - 19.../2020

सोहर मुण्डा बनाम निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

27/10/2020

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
कार्रवाई के बा
टिप्पणी तारीख

आवेदक (1)सोहर मुण्डा पिता स्व0 लोधर मुण्डा (2) किशुन मुण्डा पिता स्व0 मकुन्द मुण्डा एवं (3) शिवचरण मुण्डा पिता स्व0 विष्णु मुण्डा सभी का निवास स्थान ग्राम- कोतो, पो0- कोतो, थाना-पतरातू, जिला रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा निचे वर्णित भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अर्न्तगत निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो, ग्राम-कोतो, पो0- कोतो, थाना- पतरातू, जिला रामगढ़ (झारखण्ड) के नाम से हस्तान्तरित/बिक्री करने हेतु अनुमति आवेदन दायर किया गया है।

अनुमति हेतु दायर भूमि की विवरणी निम्नवत् है :-

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकबा (अनुमति हेतु प्रस्तावित रकबा में)	(डिसमील)
कोतो	पतरातू/18	30	389	42 डिसमील	
कुल रकबा				42 डिसमील	(बयालीस डिसमील)

अपर समाहर्ता, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक 13/11/2020 को रखें।

उपायुक्त,
रामगढ़।

13/11/2020

जाँच प्रतिवेदन उपप्राप्त।

प्रथम पक्ष क्रमांक - 01 - अनु०

क्रमांक - 02 - अनु०

क्रमांक - 03 - अनु०

on 18.12.2020

670/विदि
5/11/2020

18/12/2020

ऑन्य प्रतिवेदन अप्राप्त।
आवेदक - अनुपस्थित

दिनांक 20/01/2021 को करें।

20/01/2021

ऑन्य प्रतिवेदन अप्राप्त।

आवेदक क्रमांक-01 -
क्रमांक-02 -
क्रमांक-03 - } Absent.

Last opportunity to appellant to appear.
on 10/02/2021

20/01/2021

ऑन्य प्रतिवेदन अप्राप्त।

आवेदक क्रमांक - 01 -
क्रमांक - 02 -
क्रमांक - 03 - } अनुपस्थित

दिनांक 24/02/2021 को करें।

24/02/2021

ऑन्य प्रतिवेदन अप्राप्त।

आवेदक क्रमांक - 01 से 03 - Absent.

1st Party regularly absent. Dropped due to
disinterest/default

24/02/21